

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 18(5)त.शि./2004

जयपुर, दिनांक : 08 अगस्त, 2011

:: आदेश ::

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 5.8.2011 को सत्र 2011-12 के लिए शुल्क संरचना निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप राज्य के अनुदानित शिक्षण संस्थानों में स्व-वित्त पोषित आधार पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए (सारिणी-I) तथा राज्य पोषित आधार पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए (सारिणी-II) के तहत सत्र 2011-12 के लिए शुल्क संरचना निम्नानुसार लागू की जाती है :-

सारिणी-I

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ट्यूशन फीस प्रति वर्ष	विकास शुल्क प्रति वर्ष	कुल शुल्क प्रति वर्ष	कौशनमनी (रिफण्डेबल)
1	ME/BE/B.Arch./BHMCT	44000	11000	55000	7500
2	MBA/MCA	35000	11000	46000	7500
3	M.Pharma	44000	11000	55000	7500
4	B.Pharma	35000	11000	46000	7500
5	D.Pharma	23000	11000	34000	7500
6	Diploma HMCT	18000	11000	29000	7500
7	Diploma Engg. / Non Engg.	14000	8000	22000	7500

सारिणी-II

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2011-12 शुल्क	सत्र 2011-12 कौशनमनी
1	M.E./B.E./ BHMCT	30,000	5,000
2	B.Arch	30,000	5,000
3	MBA/MCA	30,000	5,000
4	B.Pharma	30,000	5,000
5	Diploma Engg./Non Engg.	10,000	2,000
6	D.Pharma	15,000	3,000

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा।

कौशनमनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से ही प्राप्त की जायेगी तथा पाठ्यक्रम समाप्ति के पश्चात नियमानुसार संस्था द्वारा छात्रों को लौटा दी जायेगी।